

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 5(1)2021-22/विकास/प्रमुवसं/ 1701

दिनांक 10-5-2022

कार्यालय आदेश

केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत Forest Fire Prevention and Management (F.P.M.) Scheme के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु हेतु इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 8884-8953, दिनांक 16.02.2022 द्वारा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य आवंटित किये गये थे। कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, सरिस्का बाघ परियोजना के पत्रांक 3031, दिनांक 06.05.2022 एवं कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर के पत्रांक 3892, दिनांक 06.05.2022 के क्रम में वन अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु की गई मांग अनुसार Imprest Money के रूप में आपातकालीन आवश्यकता के मद्देनजर निम्नानुसार बजट आवंटन किया जाता है।

कार्यालय का नाम	बजट मद	आइटम	वित्तीय बजट आवंटन (लाखों में)
वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, सरिस्का बाघ परियोजना, अलवर	2406-01-101-11-00-18	Machinery & Equipments/tools & plants	2.00
उप वन संरक्षक, उदयपुर	4406-01-101-12-01-16	Controlled burning and creation and Maintenance of fire line in fire prone areas (Km.)	2.50
	2406-01-101-11-00-18	Machinery & Equipments/tools & plants	2.50

आवंटित राशि को अविलम्ब उपयोग में लिया जाना सुनिश्चित करें एवं पूर्व में जारी दिशा-निर्देश यथावत है। राशि का उपयोग इस कार्यालय एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर प्रसारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जावे। आवंटित राशि से अधिक राशि किसी भी अवस्था में उपयोग नहीं की जावे। उक्त आवंटन में यदि किसी प्रकार का संशोधन/समर्पण की आवश्यकता हो तो मय विस्तृत विवरण तीन दिवस में अनिवार्य रूप से अवगत करावे।

हो

(वेंकटेश शर्मा)


अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास),
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 5(1)2021-22/विकास/प्रमुवसं/ 1702-12

दिनांक 10-05-2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राज0 जयपुर
2. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा, राज0, जयपुर
3. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, अरण्य भवन, जयपुर
4. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर/ वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक सरिस्का बाघ परियोजना, अलवर
5. उप वन संरक्षक, उदयपुर/सरिस्का
6. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्यालय आदेश को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. प्रभारी, अंक मिलान (लेखा शाखा)/संकलन शाखा विकास प्रभाग
8. रक्षित पत्रावली



(अनुर सिंह गोटवाल)

मुख्य वन संरक्षक (आयोजना),
राजस्थान, जयपुर